

थाना परसपुर पुलिस द्वारा 24 बोटा हरे आम की अवैध लकड़ी, 02 अदद ट्रैक्टर/ट्राली व 01 अदद हाइड्रा के साथ 03 अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण एवं क्षेत्राधिकारी कर्नलगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना परसपुर पुलिस द्वारा 03 अभियुक्तों-01. छेदीलाल यादव पुत्र रामखिलावन यादव, निवासी मधईपुर खांडेराय थाना परसपुर जनपद गोण्डा, 02. माताप्रसाद पुत्र मेवालाल निवासी भानदासपुरवा राजापुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा, 03. राकेश कुमार पुत्र भजई प्रसाद निवासी कोलहुई गरीब बनगओवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को 24 बोटा हरे आम की अवैध लकड़ी लदे 02 ट्रैक्टर/ट्राली व 01 हाइड्रा के साथ गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01/02.08.2025 की रात को थाना परसपुर पुलिस द्वारा रात्रि गश्त व क्षेत्र भ्रमण के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम सरनामपुरवा से आटा मार्ग पर 02 ट्रैक्टर/ट्राली व 01 हाइड्रा पर हरे आम की लकड़ी लादकर ले जा रहे 03 अभियुक्तगण 01. छेदीलाल यादव पुत्र रामखिलावन यादव, निवासी मधईपुर खांडेराय थाना परसपुर जनपद गोण्डा, 02. माताप्रसाद पुत्र मेवालाल निवासी भानदासपुरवा राजापुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा, 03. राकेश कुमार पुत्र भजई प्रसाद निवासी कोलहुई गरीब बनगओवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा को पकड़कर मौके से गिरफ्तार किया गया। पकड़े गये दोनों ट्रैक्टर से कुल 24 बोटा हरे आम की अवैध लकड़ी की बरामद की गई, जिसे अभियुक्तगण सरनाम पुरवा बाग से अवैध रूप से काटकर ले जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. छेदीलाल यादव पुत्र रामखिलावन यादव निवासी मधईपुर खांडेराय थाना परसपुर जनपद गोण्डा
02. माताप्रसाद पुत्र मेवालाल निवासी भानदासपुरवा राजापुर थाना परसपुर जनपद गोण्डा
03. राकेश कुमार पुत्र भजई प्रसाद निवासी कोलहुई गरीब बनगओवा थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0-315/25, धारा 303(2), 317(2) बीएनएस व 4/10 भारतीय वन संरक्षण अधिनियम व 3/28 ट्रांजिट एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 24 बोटा अवैध हरे आम की लकड़ी
02. 02 ट्रैक्टर / ट्राली बिना नंबर
03. 01 अदद हाइड्रा

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 दिनेश कुमार सिंह, थाना परसपुर
02. उ0नि0 सौरभ वर्मा
03. कां0 निशांत सिंह
04. कां0 सुबेन्द्र सिंह
05. कां0 राहुल पटेल

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 02.08.2025

थाना छपिया पुलिस द्वारा चोरी करने के 02 आरोपी अभियुक्तों को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 03 अदद चोरी की बैट्री व 10760/- रु0 नगद बरामद-

कार्यवाही:-

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी मनकापुर श्री उदित नारायण पालीवाल के नेतृत्व में थाना छपिया पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0-218/25, धारा 331(4),305ए,317(2) बीएनएस व मु0अ0सं0 227/25 धारा 331(4),305ए,317(2) बीएनएस से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों- 01. तिलकराम उर्फ झिनकू पुत्र परसुराम नि0 ग्राम भेलखा थाना छपिया जनपद गोण्डा, 02. नन्दकिशोर उर्फ नन्दू पुत्र रामगुलाम नि0 ग्राम भेलखा थाना छपिया जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 03 अदद चोरी की बैट्री व 10760/- रु0 नगद व चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.08.2025 को थाना छपिया पुलिस द्वारा रात्रि गश्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर 02 अभियुक्तों को भेलखा मूढ़ाडीहा रेलवे क्रासिंग के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 03 अदद चोरी की बैट्री बरामद की गई। गिरफ्तार अभियुक्तगणों के विरुद्ध थाना छपिया पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

01. तिलकराम उर्फ झिनकू पुत्र परसुराम उम्र 24 वर्ष नि0 ग्राम भेलखा थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. नन्दकिशोर उर्फ नन्दू पुत्र रामगुलाम उम्र 19 वर्ष नि0 ग्राम भेलखा थाना छपिया जनपद गोण्डा।

अनावरित अभियोग-

01. मु0अ0सं0-218/25, धारा 331(4),305ए,317(2) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0 227/25 धारा 331(4),305ए,317(2) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

01. 03 अदद चोरी की बैट्री
02. 10760/- रु0 नगद बरामद
03. 01 अदद चोरी में प्रयुक्त मोटरसाइकिल

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 घनश्याम वर्मा
02. हे0का0 महेन्द्र पासवान
03. हे0का0 अरविन्द कुमार
04. कां0 दिनेश कुमार
05. कां0 सुजीत कुमार

अभियुक्त तिलकराम उर्फ झिनकू का अपराधिक इतिहास -

01. मु0अ0सं0 217/2019 धारा 457/380 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा
02. मु0अ0सं0 269/2019 धारा 379/294/304/506 भादवि थाना छपिया जनपद गोण्डा
03. मु0अ0सं0 227/2025 धारा 331(4)/305(ए)/317(2) बीएनएस थाना छपिया गोण्डा
04. मु0अ0सं0 51/25 धारा 352/351(2) बीएनएस थाना छपिया गोण्डा
05. मु0अ0सं0 269/2022 धारा 379/411 भादवि थाना हरैया जनपद बस्ती
06. मु0अ0सं0 299/2022 धारा 379/411 भादवि थाना हरैया जनपद बस्ती

07. मु0अ0सं0 228/2022 धारा 3(1) यूपी गैगेस्टर एक्ट थाना पैकौलिया जनपद बस्ती
08. मु0अ0सं0 217/2025 धारा 379/411 भादवि थाना खोड़ारे जनपद गोण्डा
09. मु0अ0सं0 202/2022 धारा 379/411 भादवि थाना गौर जनपद बस्ती
10. मु0अ0सं0 131/2019 धारा 380/411 थाना पैकौलिया जनपद बस्ती
11. मु0अ0सं0 132/2019 धारा 380/457 भादवि थाना पैकौलिया जनपद बस्ती
12. मु0अ0सं0 113/2019 धारा 380/411/457 भादवि थाना गौर जनपद बस्ती
13. मु0अ0सं0 279/2023 धारा 413 भादवि थाना परसुरामपुर जनपद बस्ती पंजीकृत है।
14. मु0अ0सं0 227/2025 धारा 331(4) /305(ए) /317(2) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा
15. मु0अ0सं0 218/02025 धारा 331(4) /305(ए) /317(2) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।

अभियुक्त नन्द किशोर उर्फ नन्द का आपराधिक इतिहास-

01. मु0अ0सं0 227/2025 धारा 331(4)/305ए बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा
02. मु0अ0सं0 218/02025 धारा 331(4) /305(ए) /317(2) बीएनएस थाना छपिया जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा 03 शातिर चोर गिरफ्तार, चोरी के 06 अदद इंजन (पम्पिंग सेट) व पिकअप टाटा ACE

बरामद-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री उमेश्वर प्रभात सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 – 268/2025, धारा 303(2) BNS थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा से सम्बन्धित प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. जुबेर पुत्र सरतार 2. राकेश पाल पुत्र छिन्नू पाल 3. उमेश यादव पुत्र राम जनक यादव निवासीगण ग्राम मीरपुर लखईपुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को ग्राम लौव्वावीरपुर व ग्राम अशोकपुर बार्डर पर मझारा रोड से गिरफ्तार किया गया, मौके पर पिकअप वाहन टाटा ACE नं0 UP 43 T 7831 पर लदी चोरी के 06 अदद पम्पिंग सेट अंदर 24 घण्टे बरामद की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 01.08.25 को थाना नवाबगंज क्षेत्र के रहने वाले श्री इन्द्रजीत मिश्रा पुत्र स्व0 विष्णु प्रताप नि0 ग्राम एकडंगा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी कि दि0 01.08.25 की रात मे ग्राम एकडंगा में सिचाई हेतु उनके खेत में लगा पम्पिंग सेट तथा उनके खेत के बगल के खेत के रामतेज तिवारी पुत्र स्व0 हरी प्रसाद तिवारी का पम्पिंग सेट अज्ञात चोरों द्वारा चोरी कर लिया गया। तहरीर के आधार पर थाना नवाबगंज पर मु0अ0सं0 268/25 धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था। दिनांक 01/020.08.2025 की रात थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा वाहन चेकिंग/ रात्रि गस्त के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर ग्राम लौव्वावीरपुर व ग्राम अशोकपुर के बार्डर पर मझारा रोड से पिकअप वाहन टाटा ACE रजि0 नं0 UP 43 T 7831 पर लदी चोरी की गयी 06 अदद पम्पिंग सेट सहित 03 नफर अभियुक्तगण 1. जुबेर पुत्र सरतार 2. राकेश पाल पुत्र छिन्नू पाल 3. उमेश यादव पुत्र राम जनक यादव निवासीगण ग्राम मीरपुर लखईपुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय गोण्डा खाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तगण-

1. जुबेर पुत्र सरतार निवासी ग्राम मीरपुर लखईपुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
2. राकेश पाल पुत्र छिन्नू पाल निवासी ग्राम मीरपुर लखईपुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।
3. उमेश यादव पुत्र राम जनक यादव निवासी ग्राम मीरपुर लखईपुरवा थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

बरामदगी-

1. 06 अदद इंजन (पम्पिंग सेट)।
2. पिकअप वाहन टाटा ACE (UP 43 T 7831)।

अनावारित अभियोग-

01. मु0अ0सं0 0268/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना नवाबगंज गोण्डा

गिरफ्तारकर्ता टीम-

- उ0नि0 विभव सिंह
- उ0नि0 अमर पटेल
- हे0का0 योगेन्द्र नाथ यादव
- हे0का0 अभिषेक सिंह
- कां0 अजय यादव

कां० रामवीर यादव
कां० अतुल सिंह
कां० अखिलेश यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट

दिनांक 02.08.2025

संपूर्ण समाधान दिवस

जनपद गोण्डा।

जिलाधिकारी गोण्डा व पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के अवसर पर तहसील मनकापुर में जनसमस्याओं को सुना गया एवं उनके गुणवत्तापूर्ण व त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित को निर्देशित किया गया-

आज दिनांक 02.08.2025 को उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के क्रम में मनकापुर तहसील गोण्डा में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी गोण्डा श्रीमती प्रियंका निरंजन, पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल व राजस्व, पुलिस तथा अन्य विभाग के अधिकारी/कर्मचारीगणों द्वारा प्रतिभाग किया गया। इस दौरान अधिकारीगणों द्वारा जनता की जनसमस्याओं को सुना गया तथा समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तापूर्ण निस्तारण हेतु सम्बन्धित राजस्व और पुलिस विभाग के अधिकारियों को मौके पर जाकर शिकायतों का शत-प्रतिशत निस्तारण करने हेतु निर्देशित किया गया। अधिकारीगणों द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन के दिशा-निर्देशों से अधिकारी एवं कर्मचारीगणों को अवगत कराते हुये प्रार्थना-पत्रों की समयबद्ध जांच, कार्यवाही एवं समस्याओं के निस्तारण हेतु निर्देशित किया गया।

इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी, मुख्य चिकित्साधिकारी, उपजिलाधिकारी मनकापुर, क्षेत्राधिकारी मनकापुर, प्र०नि० मनकापुर सहित राजस्व व पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण मौजूद रहें।

मीडिया सेल, गोण्डा।